03/07/2019

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित है। अधिवक्ता वादी ने धारा 152 सी.पी. सी. के अन्तर्गत इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त उनवान का प्रकरण माननीय न्यायालय में जैरकार था, जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2019 को किया जा चुका है। उक्त निर्णय में माननीय न्यायालय में से सहवन से हिस्सा गलत दर्ज हो गया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। यह कि दौराने वाद खानपुर तहसील में सेकीमेंट के कारण वाद में वर्णित आराजी का हल्का पटवारी द्वारा हिस्सा रिकार्ड में दर्ज कर दिया है जिसके अनुसार ग्राम हथोली के खाता सं0 43 की ख0नं0 98 की 9.09 बीघा एवं ख0नं0 113 की 17.15 बीघा कुल 2 किता की 27.04 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगा0 6, व प्रतिवादीगण 7 लगा0 10, 16, 17, 18, 33 का कुल आराजी में 1/9 हिस्सा निहित है और प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 का 1/9 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज कर दिया है जिसके कारण से माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.04.2019 के निर्णय में संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय में निम्न संशोधन किया जावे कि ग्राम हथोली की खाता सं0 43 की ख0नं0 98 की 9.09 बीघा एवं ख0नं0 113 की 17.15 बीघा कुल 2 किता की 27.04 बीघा में से प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 का नाम रेकार्ड जमाबंदी में से हटाया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 के स्थान पर कुल आराजी में से वादीगण को 1/18 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 16, 17, 18 को कुल आराजी में से 3/72 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 7, 8, 9, 10 एवं 33 को कुल आराजी में से 1/72 हिस्सा रेकार्ड खाते में दर्ज किया जावे। खाते में अमल दरामद किया जावे।

प्रार्थना–पत्र पर अधिवक्ता उभय पक्ष को सुना गया। अधिवक्ता प्रतिवादी को प्रार्थना–पत्र पर कोई आपत्ति नहीं हैं। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। यहां हम अधिवक्ता प्रार्थी/वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं बहस में वर्णित तथ्यों से सहमत हैं। इस प्रकरण में दिनांक 25.04.2019 को राजीनामें के आधार पर निर्णय व डिक्री पारित की किया गया है किन्तु वर्तमान में सेग्रीमेंट के बाद वादग्रस्त आराजी में सह खातेदारान के हिस्सों में परिवर्तन हुआ है। ऐसे में वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार निर्णय एवं डिक्री में संशोधन किया जाना न्यायोचित है।

अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/वादी स्वीकार किया जाकर निर्णय व डिक्री में निम्न प्रकार संशोधन किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है "ग्राम हथोली की खाता सं0 43 की ख0नं0 98 की 9.09 बीघा, ख0नं0 113 की 17.15 बीघा कुल 2 किता की 27.04 बीघा में से प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 का नाम रेकार्ड जमाबंदी में से हटाया जाकर प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 के स्थान पर कुल आराजी में से वादीगण को 1/18 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 16, 17, 18 को कुल आराजी में से 3/72 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 7, 8, 9, 10 एवं 33 को कुल आराजी में से 1/72 हिस्से का खातेदार टीनेंट घोषित किया जाता है" इसी अनुसार संशोधित डिक्री जारी हो। प्रार्थना–पत्र निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील मूल वाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)